राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(14)ग्रावि / नरेगा / वेज / 68151 / 2014 जयपुर, दिनांक : 09 MAR 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.2017 से अकुशल श्रमिक मजदूरी दर के संबन्ध में।**

संदर्भः– **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.02.2017**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के प्रावधानानुसार दिनांक 28.02.2017 को अधिसूचना जारी कर **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत** नियोजित किए जाने वाले **अकुशल श्रमिकों** को दी जाने वाली **मजदूरी दर रू. 192/– प्रति दिवस** निर्धारित की गयी है। यह दरें **दिनांक 01 अप्रेल, 2017** से प्रभावी होंगी (प्रति संलग्न)।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज।
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. आयुक्त, ईजीएस।
7. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
10. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा योजना राजस्थान, समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938
No. 597] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

ग्रामीण विकास मं ालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

का.आ.666(अ).—के ीय सरकार, महात्मा गांधी रा ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मं ालय की अधिसूचना सं. का.आ. 463 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2013, का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना में, "अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची

अकुशल हस्त कर्मकारों के लिए राज्य-वार मजदूरी की दर

(रु. प्रति दिन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षे का नाम	प्रतिदिन मजदूरी की दर
(1)	(2)	(3)
1.	आं प्रदेश	197.00 रु.
2.	अरुणाचल प्रदेश	177.00 रु.
3.	असम	183.00 रु.
4.	बिहार	168.00 रु.
5.	छत्तीसगढ़	172.00 रु.
6.	गोवा	240.00 रु.
7.	गुजरात	192.00 रु.
8.	हरियाणा	277.00 रु.
9.	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षे - 179.00 रु. अनुसूचित क्षे - 224.00 रु.
10.	जम्मू - श्मीर	179.00 रु.
11.	झारखंड	168.00 रु.

12.	कर्नाटक	236.00 रु.
13.	केरल	258.00 रु.
14.	मध्य प्रदेश	172.00 रु.
15.	महाराष्ट्र	201.00 रु.
16.	मणिपुर	204.00 रु.
17.	मेघालय	175.00 रु.
18.	मिज़ोरम	194.00 रु.
19.	नागालैंड	177.00 रु.
20.	ओडिशा	176.00 रु.
21.	पंजाब	233.00 रु.
22.	राजस्थान	192.00 रु.
23.	सिक्किम	177.00 रु.
24.	तमिलनाडु	205.00 रु.
25.	तेलंगाना	197.00 रु.
26.	त्रिपुरा	177.00 रु.
27.	उत्तर प्रदेश	175.00 रु.
28.	उत्तराखंड	175.00 रु.
29.	पश्चिमी बंगाल	180.00 रू.
30.	अंडमान और निकोबार	अंडमान जिला 236.00 रू. निकोबार जिला 249.00 रू.
31.	चंडीगढ़	265.00 रु.
32.	दादरा और नागर हवेली	218.00 रू.
33.	दमण और दीव	195.00रु.
34.	लक्षद्वीप	237.00 रु.
35.	पुडुचेरी	205.00 रु."

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. जे. – 11011/1/2009-एमजीएनआरईजीए(भाग 3)]

अपराजिता सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 463 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए:

(i) का.आ. 400(अ), तारीख 13 फरवरी, 2014 ; और

(ii) का.आ. 2118(अ), तारीख 22 अगस्त, 2014

(iii) का.आ. 890(अ), तारीख 31 मार्च, 2015

(iv) का.आ. 1205 (अ), तारीख 23 मार्च, 2016